



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3392]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 12, 2017/अग्राहायण 21, 1939

No. 3392]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 12, 2017/AGRAHAYANA 21, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2017

का.आ. 3868(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए मणिपुर सरकार द्वारा गठित निकाय, “मणिपुर राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण” को, उसे होने वाली निम्न विशिष्ट आय के संबंध में एतद्वारा अधिसूचित करती है, यथा:-

- (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार पी एम जी एस बाई के लिए प्राप्त निधि; और
 - (ख) उपर्युक्त निधि पर बैंक से प्राप्त ब्याज।
2. यह अधिसूचना इस शर्त पर लागू होगी कि मणिपुर राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण:-
- (क) किसी अन्य वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
 - (ख) पूरे वित्तीय वर्ष में विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति व गतिविधि अपरिवर्तनीय रहेगी; और
 - (ग) यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (च) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।
3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2015-2016, 2016-2017 पर लागू हुई समझी जाएगी और वित्त वर्ष 2017-2018, 2018-2019 और 2019-2020 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 97 /2017 / फा.सं. 300196/8/2016-आईटीए-1]

वित्तय शील गौतम, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना के भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।